

The Uttar Pradesh Pratisthani Majdoor Niyojan Adhiniyam, 1978 Act 4 of 1978

Keyword(s):

Viniyukti Bhatta, Odyogik Adhisthan, Arakshit-Samuh Majdoor, Majdoori, Malik or Majdoor, Karkhana

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

6

|वधान पुण्यता (राजकीय प्रकास इत्तर प्रदंश, नवन

L.A. 15/78·GH Cap. 2

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन ग्रविनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश ग्रिधिनियम संख्या 4, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 मार्च, 1978 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 स्रप्रैल, 1978 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1 खण्ड (क) में दिनांक 18 अप्रैल, 1978 ई0 को प्रकाशित हुआ।

कतिपय भौद्योगिक ग्रिधिष्ठानों में प्रतिस्थानी मजदूरों के नियोजन ग्रीर उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए

ग्रधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसर्वे वर्ष में निम्निसिखित ग्रिधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह प्रधिनियम उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन प्रधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार ग्रौर प्रारम्म।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इसे 26 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

[उद्देश्य ग्रौर कारणों के विवरण के लिये क्रुपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई 0 के सरकारी ग्रसाधारण गजट के विघायी परिशिष्ट का भाग 3 खण्ड (क) देखिये।]

परिभाषायें

2--इस ग्रधिनियम में,---

- (1) "विनियुक्ति भत्ता" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो किसी मजदूर को एक दिन के लिए देय मजदूरी के तैंतीस प्रतिशत के बराबर हो;
- (2) "श्रौद्योगिक श्रिष्ठिष्ठान" का तात्पर्य सूत, जूट, ऊन, वस्त्र, क्रुतिम रेशा, कृतिम धागा के कारखानों से संबंधित किसी ग्रिधिष्ठान से है भीर इसमें ऐसे ग्रन्य ग्रिधिष्ठान भी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त ग्रिधिसूचित किया जाय;
- (3) "मारक्षित-समूह मजदूर" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे इस ग्रिधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान मालिक द्वारा किसी स्थायी प्रकार के काम पर 300 दिन या उससे मधिक दिन के लिए नियोजित किया गया हो;
- (4) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में ध्रिभव्यक्त सभी पारिश्रमिक से है (चाहे वह वेतन, भत्ता या ग्रन्य प्रकार से हो) जो नियोजन के स्पष्ट या उपलक्षित निबन्धनों की पूर्ति हो जाने पर मजदूर को उसके नियोजन के या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के संबंध में देय हो;
- (5) शब्द "मालिक" भीर "मजदूर" के कमशः वही भर्य होंगे जो संयुक्त प्रांतीय भौदोगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 में उनके लिये दिये गये हैं;
- (6) शब्द "कारखाना" का वही प्रर्थ होगा जो कारखाना ग्रिधिनियम, 1948 में उसके लिए दिया गया है।

मालिक समूह मजदूरों का रजिस्टर रखेगा। 3---प्रत्येक मालिक म्रारक्षित-समूह मजदूरों का रिजस्टर रखेगा भीर उसमें समस्त म्रारक्षित-समूह मजदूरों के नाम श्रेणीवार ग्रीर ऐसे ज्येष्ठता-क्रम में जिसकी गणना इस श्रिष्ठित्यम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती चौबीस कलेंडर मास के दौरान श्रिष्ठकतम कार्य-दिवस के ग्राधार पर की जायगी, दर्ज करेगा ।

समूह मजदूरों की पूची प्रदर्शित की जायगी। 4—- प्रारक्षित समूह मजदूरों के नामों की एक श्रेणीवार सूची सम्बद्ध ग्रौद्योगिक ग्रिष्ठिष्ठान के सचना-पट्ट पर इस ग्रिष्ठिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीस दिन के भीतर चिपकायी जायगी ।

कार्यं की व्यवस्था न होने पर विनि-युक्ति भत्ता का भगतान। 5-- जब कोई भ्रारक्षित-समूह मजदूर कार्य के लिए उपस्थित होता है भीर मालिक उसे कार्य देने में विफल रहता है, तब वह ऐसे मजदूर को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए विनियुक्ति भत्ता देगा:

परन्तु कोई विनियुक्ति भत्ता लगातार बारह कर्लेंडर मास की किसी घ्रविध में नब्बे दिन से घ्रिष्ठिक के लिए देय नहीं होगा।

ग्नारक्षित-समूह मजद्रों की स्थायी नियुक्ति। 6—प्रत्येक मालिक किसी श्रेणी के संबंध में, जिसमें रिक्ति हो, श्रारक्षित-समूह मजदूरों को स्थायो रूप से नियुक्त करते समय उसी क्रम का श्रनुसरण करेगा जिस क्रम में ऐसे मजदूरों के नाम धारा 3 के प्रधीन रखे गये रजिस्टर में दर्ज हों।

शास्ति

7--कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है ऐसी अविध के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।

प्रपराध का संज्ञान

- 8—(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान जिला मिजिस्ट्रेट या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गयी अपराध के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के बिना नहीं करेगा।
- (2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराधः। 9——(1) जब कभी इस म्रिधिनियम के म्रधीन कोई म्रपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तब ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो म्रपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो या उसके कार्य-संचालन के लिए उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो भीर कम्पनी को भी म्रपराध का दोषी समझा जायगा भीर तद्नुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी भीर दंड दिया जा सकेगा:

परन्तु इम उपधारा की किसी बात से इस ग्रधिनियम के ग्रधीन ऐसा कोई व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि ग्रपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उम ग्रपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरनी थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस ग्रिधिनयम के ग्रधीन कोई ग्रपराध किसी कम्पनी दारा किया गया हो ग्रीर यह साबित हो जाय कि ग्रपराध किसी निर्देशक, प्रबंधक, स्विव या ग्रन्य ग्रधिकारी की सहमित या मौनानुमित से किया गया है या उसकी ग्रोर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुग्रा है तो उसके विरुद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी ग्रीर दंड दिया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश

संख्या 1,

प्रमादेश

1978 |

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है स्रीर इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का स्रन्य समुदाय भी सम्मिलित है; श्रीर
 - (ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

10--इस ग्रधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी श्रन्य विधि के उपबन्धों के ग्रतिरिक्त होंगे, न कि उनका ग्रल्पीकरण करेंगे ।

ग्रन्य विधियों के विषय में भ्रपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन ग्रध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त ग्रध्यादेश के ग्रधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस ग्रधिनियम के ग्रधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह ग्रधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।